

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक: प.17(1)सह / 2024-03300

जयपुर, दिनांक:—26.06.2024

जिला कलवटर,
जिला..... (समरत)
(टॉक के अतिरिक्त)

विषय:—मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारम्भ समारोह के आयोजन के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत राज्य के पात्र किसानों को प्रति वर्ष राशि 2000/- रुपये तीन किस्तों में दिये जाने की वजट घोषणा की गयी है। योजना का शुभारम्भ दिनांक 30.06.2024 को अपराह्न 12.00 बजे जिला टॉक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किया जाना प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ सभी जिला मुख्यालयों एवं व्लॉक व पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी किसानों के बैंक खातों में प्रथम किस्त के रूप में रु. 1000/- डीडीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

जिला स्तरीय कार्यक्रम को राज्य स्तर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा तथा समारोह के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कतिपय लाभार्थी किसानों से संवाद भी किया जायेगा।

जिला स्तर पर शुभारम्भ समारोह के सफल संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें—

1. जिला स्तरीय समारोह स्थल का चयन एवं कार्यक्रम संबंधी तैयारी।
2. जिले के जन प्रतिनिधियों को समारोह में आमंत्रित करना तथा समारोह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना।
3. लाभार्थी किसानों/अन्य हितधारियों को जिला स्तरीय समारोह स्थल पर लाने ले जाने एवं अल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था कराना।
4. जिला स्तर पर मुख्यमंत्री से लाभार्थियों के संवाद हेतु जिले के लाभार्थी कृषकों का चयन कराना एवं संवाद हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
5. व्लॉक / पंचायत स्तरीय समारोह आयोजित कराना एवं लाभार्थियों की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित कराना।
6. लाभार्थी किसानों को योजना एवं शुभारम्भ समारोह की जानकारी उपलब्ध कराना।
7. जिले के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ना एवं व्लॉक एवं पंचायत स्तर तक लाईव प्रदर्शन सुनिश्चित कराना।
8. जिला स्तर पर सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराना।

इस हेतु वजट आवंटन की पृथक से व्यवस्था की जा रही है।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।

१

शासन सचिव

२०२४
26.6.2024
(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त शासन सचिव